

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापकों हिन्दी स्कूल शिक्षा को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्म तिथि	से0नि0 तिथि
1	शिवप्रसाद उपाध्याय, देवगढ- राजसमंद	15.05.1958	31-05-2018
2	निरंजन सिंह चौहान, बली जस्साखेडा- राजसमंद	01.06.1958	31-05-2018
3	मीरा शर्मा, बा0देवगढ- राजसमंद	30.06.1958	30-06-2018
4	भंवर पुरी गोस्वामी, खीमाखेडा- राजसमंद	01.03.1959	28-02-2019
5	दीपाराम, सारोठिया- चूरु	01.07.1958	30-06-2018
6	सन्तोष माथुर, रतन बहन राजमल चौधरी, राबाउमावि नागौर	31.08.1958	31-08-2018
7	सम्पतराम बैरवा, डूंगरपुर-लालसोट- दौसा	01.06.1958	31-05-2018
8	रामचरण शर्मा, मूण्डधिस्या, दौसा	01.07.1958	30-06-2018
9	बद्रीप्रसाद सैनी, भांवता-भावती-बांदीकुई - दौसा	05.07.1958	31-07-2018
10	गगफूल सिंह बागवान, रायपुर-महुआ- दौसा	07.08.1958	31-08-2018
11	राममावतारा शर्मा, बी.एन.जोशी-बांदीकुई-दौसा	01.01.1959	31-12-2018
12	बृजेन्द्र सिंह, भण्डेडा-बांदीकुई- दौसा	13.01.1959	31-01-2019
13	श्याम बिहारी लाल, जसोता- दौसा	22.01.1959	31-01-2019
14	कृष्णलाल सैनी, झाड़ीरामपुरा-बांदीकुई- दौसा	24.01.1959	31-01-2019
15	गणपत लाल गर्ग कुंचोली कुम्भलगढ राजसमंद	01.01.1959	31-12-2018
16	मेघ सिंह सीगड़ा झुंझुनु	07.07.1958	31-07-2018
17	श्री मति मंजू कुलश्रेष्ठ हीरवा झुंझुनु	25.05.1958	31-05-2018
18	रामप्रसाद सोनी मनोहरगढ प्रतापगढ	31.05.1958	31-05-2018
19	मीना झाला लावा सरदारगढ अमेट राजसमंद	15.06.1958	30-06-2018
20	रामेश्वर लाल टेलर पीपली आचार्यन राजसमन्द	04.07.1958	31-07-2018
21	बालू सिंह चौहान बरार भीम राजसमन्द	08.09.1958	30-09-2018
22	चुन्नी लाल रेगर गांव गुढा खमनोर राजसमन्द	30.01.1959	31-01-2019
23	पिरु लाल डाकोत गलवा अमेट राजसमन्द	03.02.1959	28-02-2019
24	भंवर लाल रेगर केलवारा कुम्भलगढ राजसमन्द	01.04.1959	31-03-2019
25	सुनीता शर्मा एस बी के बा भरतपुर	01.07.1960	01-08-2018
26	मंजू मिश्रा बा हिरणमगरी सेक्ट 11 उदयपुर	04.12.1958	31-12-2018
27	श्री मति शरणजीत बा नोहर हनुमानगढ	11.08.1958	31-08-2018
28	दीपा राम सारोठिया चूरु	01.07.1958	30-06-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(11)

2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 24-05-2018

कमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/से.नि./हिन्दी/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
6. संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से 10 रु के स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवावें।
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर